

5110/1010/12
11/9/17

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) : दिल्ली

परिपत्र

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली से प्राप्त स्वीकृति के अनुरूप आप सभी को सूचित किया जाता है कि कार्यालय में अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हिंदी के प्रपत्र/फार्म जिला न्यायालय दिल्ली की वेबसाइट www.delhidistrictcourts.nic.in पर आवेदन पत्र लिंक के तहत और इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। आप स्वेच्छापूर्वक इन प्रपत्रों/फार्मों का प्रयोग कर सकते हैं।

अरुण कुमार आर्य

(अरुण कुमार आर्य)
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय (दक्षिण-पूर्व)
अध्यक्ष, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय, दिल्ली।

संख्या 57784-57984
हिन्दी/237/2017

दिल्ली, दिनांक 08/09/17

- परिपत्र की प्रतिलिपि, संलग्नकों सहित, सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:-
- समस्त माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, पूर्व, शाहदरा, नई दिल्ली, दक्षिण-पूर्व, पश्चिम, उत्तर, उत्तर-पूर्व, दिल्ली/नई दिल्ली (इस अनुरोध सहित कि आप इस परिपत्र व संलग्नकों को अपने संबद्ध न्यायिक जिले में परिचालित करवाएँ)।
 - समस्त न्यायिक अधिकारी, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
 - माननीय अध्यक्ष, केन्द्रीय कम्प्यूटर समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली इस अनुरोध सहित कि सभी न्यायिक जिलों की इंटरनेट प्रणाली में समान रूप से उपलब्ध हों।
 - समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व अनुभागों के अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
 - मुख्य महानगर दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य महानगर दण्डाधिकारी, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
 - वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी, लेखा अनुभाग, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
 - समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व अनुभाग प्रमुख, कम्प्यूटर अनुभाग, तीस हजारी न्यायालय, कड़कड़वा न्यायालय, पटियाला हाउस न्यायालय, रोहिणी न्यायालय, द्वारका न्यायालय और साकेत न्यायालय, दिल्ली/नई दिल्ली (वेबसाइट और इंटरनेट पर इन प्रपत्रों/फार्मों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने हेतु)।
 - निजी सचिव, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली।
 - वेबसाइट समिति, अंग्रेजी-हिन्दी, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली (वेबसाइट पर प्रदर्शित करने और दोनों वेबसाइटों पर उक्त संदर्भित प्रपत्रों/फार्मों की उपलब्धता नियमित रूप से सुनिश्चित करने हेतु)।
- कृपया ध्यान दें : समस्त न्यायिक अधिकारियों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारियों (न्यायिक) व अनुभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी कर्मचारियों को इस परिपत्र से अवगत करवाएँ।

अरुण कुमार आर्य

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय (दक्षिण-पूर्व)
अध्यक्ष, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय, दिल्ली।

परिचालित करें

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्व)/के०के०डी०

11/09/2017